

CERTIFICATE OF RECOGNITION

D.E.O. SIKAR (Raj)

(Name & Address of the issuing authority)

No. 2014/112/Rev/01

Date: 29/11/2023

To

TAGORE INTERNATIONAL
SR. SEC. SCHOOL KISAN COLONY
SIKAR, RAJASTHAN
(Name & Address of the school)

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under जि.शिक्षा/प्राथमिक/सि.माध्यम/वि.वि./2014/112
(Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref: School request on dated 28/11/2023

With reference to your application dated 28/11/2023, and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to TAGORE INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL (Name & Address of school) for class I to VIII standard for the period 03 (no. of years) from the academic year 2023 to 2024 in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & rule 2011 of 8 K. Subrule (4). (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 2023 to 2024 and is to be renewed at an interval of every 03 years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the Rule 2011 (State Education Act/ Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.

AShols

सचिव

श्री अणिकुल विद्यापीठ शिक्षा मण्डल

Vijayashree

Principal (1220838)

Tagore International Sr. Sec. School

Nawalgarh Road, SIKAR (Raj.)

DISE Code 08130510402

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child. -
 - a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
 - b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
 - a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
 - b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
 - c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
 - d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the Rule 2011... (rule/ clause of State Act).
 - e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under 2011..... (rule/ clause of the state Act).
 - f. The teachers perform his duties specified under 2011..... (rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in 2011..... (rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the Registra. A. C/1958 (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
17. English.... (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under Rule 1993..... (concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.

ASNOK

सचिव
श्री ब्रह्मकुल विद्यापीठ शिक्षा समिति

Vijayashree

Principal (1220838)

Tagore International Sr Sec. School
Nawalgarh Road, SIKAR (Raj.)

DISE Code 0813051044

18. The school shall abide by the provisions of the Rule 5 (State Act/ Rules).
19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this D.E.O. Sikar (Name & Address of the certificate issuing authority).
22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department from time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the State Ed. R. (Concerned State Authority).

Seal & Signature of issuing authority

Name & Address of issuing authority

जिला शिक्षा अधिकारी
(सुब्युलम) माध्यमिक शिक्षा, सीकर

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

Vijayashree

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं08(55) शिक्षा-5/04 जयपुर दिनांक 21/9/2005 एवं 23/5/2007 के अनुसरण में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को वर्तमान परिसर के अलग कक्षा कक्षाओं में पूर्व में स्वीकृत माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) के साथ-साथ माध्यमिक (कक्षा 6 से 10)/उच्च माध्यमिक (कक्षा 6 से 12) स्तर तक उनके सम्मुख अंकित अतिरिक्त माध्यम (हिन्दी/अंग्रेजी) से अध्ययन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जिला	विद्यालय का नाम	अति० माध्यम में चाहा गया विद्यालय स्तर	पूर्व स्वीकृत माध्यम	स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम
1	Sikar	विवेकानन्द उमावि०, औद्योगिक क्षेत्र, नीमका थाना, सीकर	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
2	Sikar	टैगोर इन्टरनेशनल सी.सै.स्कूल, किसान कॉलोनी	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
3	Jaipur	जगदीश पब्लिक सी.सै. स्कूल, दूदू, जयपुर	उच्च माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी
4	Hanumangarh	अमृत मॉडल सैकण्डरी स्कूल, नगीना मार्ग, हनुमानगढ जंक्शन	माध्यमिक	हिन्दी	अंग्रेजी

उक्त वर्णित संस्थाओं को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 की तथा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अवहेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृतियां निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

उप निदेशक, (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 27/11/14

क्रमांक : शिविरा-मा/मा/अ-3/भनावमा/मूल/2013

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को
4. उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय:जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरि/प्रारं/शैक्षिक/सी/सी-एफ/19626/म.ना.व.मा./14-15,दिनांक:-21.05.14 एवं राज्य सरकार का पत्रांक प.9 (2) शिक्षा-5/2005 पार्ट जयपुर,दिनांक 20.05.14 के निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र,शपथ-पत्र एवं निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2014-15 से पूर्व में जारी मूल मान्यता आदेशों की शर्तों के अधीन विद्यालय को निम्नानुसार अतिरिक्त माध्यम से शिक्षण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	विद्यालय का नाम	मूलमान्यता आदेश में शिक्षण का माध्यम	सत्र 2014-15 से विद्यालय में शिक्षण का अतिरिक्त माध्यम		ब्लॉक
			अतिरिक्त माध्यम	स्तर	
1	टैगोर इन्टरनेशनल सै0स्कूल भवन नं0 110 वार्ड नं0 41, खीचड हॉस्पिटल के पीछे, किसान कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर	हिन्दी	अंग्रेजी ;	प्राथमिक	सीकर शहर

उक्त वर्णित संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम,1989 एवं नियम 1993, आर टी ई अधिनियम 2009 की तथा समय-समय पर जारी नियम/निर्देशों की पालना करनी होगी। नियमों की अड्डेलना पाई जाने पर नियमानुसार स्वीकृति निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

sd
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

दिनांक: 15.7.2014

क्रमांक:-जिशाअ/प्राशि/सी/मान्यता/विधि/2014/ 112
प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान् निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक जयपुर संभाग,जयपुर।
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मा0प्रथम/द्वितीय,सीकर।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों व शर्तों की पालना सुनिश्चित करवायेंगे।
5. संबंधित संस्था प्रधान /सचिव/अध्यक्ष.....
6. संयोजक एवं प्रधानाध्यापक,जिला समान परीक्षा/कीडा प्रतियोगिता,सीकर।
7. प्रमारी/सामान्य/शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी/आर टी ई/संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा,सीकर।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा,सीकर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, सीकर (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार की पत्रांक-409(2) शिक्षा-5, 2010 जय दिनांक 30.12.11, 12.1.12, 25.2.12, 31.5.12 एवं निदेशांक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क. 5- दिविश-माध्य/ मा/ अ-4/ 21313/बी-3/2012-13 दिनांक 17.9.12 की पालना में और तानुसार में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निम्न शर्तों के आधार पर सत्र 2012-13 से उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नांकित विद्यालयों द्वारा पत्रांक-1 में आवेदन करने, शपथ पुत्र व अप्पंडर टेकिंग प्रस्तुत करने एवं निर्धारित आरक्षित कोष/मान्यता शुल्क राशि जमा करवाये जाने पर उक्त मान्यता/कमीन्नति प्रदान की जा रही है।

- 1- संस्था अनुदान की मांग नहीं करेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।
- 2- संस्था में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जाएगा।
- 3- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम, 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना की जायेगी।
- 4- संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विनियमनों व निर्देशों की पालना करती रहेगी।
- 5- संस्था सत्र 2012-13 में कक्षा 11वीं प्रारम्भ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2013-14 में 12वीं प्रारम्भ करेगी।
- 6- संस्था अतिरिक्त संकाय/विषय हेतु पर्याप्त भवन एवं कक्षा कक्षा तथा प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था करेगी।
- 7- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरीक्षण के समय अथवा विभाग द्वारा निरीक्षण के समय किसी प्रकार की कोताही पाई गई तो संस्था की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।
- 8- संस्था को निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा।
- 9- संस्था को आवश्यक रूप से प्रति तीन वर्ष के लिए भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 10- संस्था तत्काल अस्थायी मान्यता हेतु प्रपत्र-क सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को जमा करा दें अन्यथा कमीन्नति आदेश जारी किए गए सत्र के लिए प्रभावी नहीं माने जावेंगे एवं विलम्ब शुल्क भी बोर्ड को देना होगा। प्रपत्र-क की एक प्रति निदेशालय, बीकानेर को भी प्रस्तुत करनी होगी। समय पर प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियों के परीक्षा से वंचित रहने तथा विलम्ब शुल्क के भुगतान के लिए सम्बन्धित शाला प्रधान ही जिम्मेदार होंगे।
- 11- विद्यालय का नाम/भवन/कर्म/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय के पत्रों में बिना किसी राजकीय स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं कमीन्नति के पश्चात् भी विभाग का जांच दल संस्था का निरीक्षण कर सकता है। यदि उस समय स्थान, भवन एवं आवश्यक सुविधाओं में कोई कमी पाई गई तो संस्था की मान्यता/कमीन्नति निरस्त कर दी जायेगी।
- 12- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
- 13- कक्षा 11वीं में छात्र संख्या 30 एवं छात्रा संख्या 20 से कम हो तो कक्षाएँ आरम्भ नहीं की जावे।
- 14- कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामलों में राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन ही गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

उच्च माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त संकाय/विषय प्रारम्भ करने की स्वीकृति सूची सत्र 2012-13				
क्र.सं.	विद्यालय का नाम	संकाय	विषय	भाषा
1	सरस्वती बाल विद्या निकेतन उमावि बठौत	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
		वाणिज्य संकाय	लेखा शा. व्यावसायिक प्रबन्ध, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन, कम्प्यूटर विज्ञान	
2	टंगोर इन्टरनेशनल सीनियर सैकेंडरी स्कूल भवन नं.110, वार्ड नं.41 खीचड़ हास्पीटल के पिछे, किसान कालोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान	हिन्दी
3	एम.के. मेमोरियल ऐकॅडमी उमावि, सेठी की कौटी के पास, न.एच.11 लक्ष्मणगढ़	वाणिज्य संकाय	लेखा शा., व्यावसायिक प्रबन्ध आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन (अर्थशास्त्र), व्यावसायिक गणित एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक सूचना व्यवस्था एवं अनुप्रयोग	हिन्दी
4	एस.के. देवडा उमावि फतेहपुर शेखावाटी	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	अंग्रेजी
		-	वाणिज्य में अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर विज्ञान, इन्फार्मेटिक्स प्रेक्टिस, मल्टीमिडिया और वेब टेक्नोलोजी	
5	श्रीरघुनाथ उमावि लक्ष्मणगढ़	-	वाणिज्य में अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर विज्ञान, इन्फार्मेटिक्स प्रेक्टिस, मल्टीमिडिया और वेब टेक्नोलोजी	हिन्दी
6	सरस्वती शिक्षण संस्थान, उमावि गनेडी	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
7	सनराइज गुरुकुल शिक्षण संस्थान उमावि खीचड़ों का बास, सीकर	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
8	शिशु बाल बिहार उमावि अनोख	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
9	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि बेरी	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
		वाणिज्य	लेख शास्त्र, व्यावसायिक साठन, कम्प्यूटर वि. आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	

10	ग्राम भारती विद्यापीठ उमावि कोठयारी	-	कला में अतिरिक्त विषय:- गोल, इतिहास, अंग्रेजी सा, लोक शासन, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर वि.	हिन्दी
11	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि राणीसती मन्दिर चूरु रोड कर्तहपुर शेखावाटी	-	कला में अतिरिक्त विषय:- गोल सा इतिहास, समाज शास्त्र	हिन्दी
12	ग्रामीण बाल विद्या निकेतन उमावि फदनपुरा, सीकर	-	कला में अतिरिक्त विषय:- गोल सा, अंग्रेजी सा कम्प्यूटर वि, गृह विज्ञान	हिन्दी
13	भारती बाल निकेतन उमावि ज्योतिनगर सीकर	वाणिज्य संकाय	संख्याशास्त्र, व्यावसायिक संगठन, कम्प्यूटर वि०, आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन	हिन्दी
14	सरस्वती शिक्षण संस्थान उमावि दोलतपुरा	-	कला में अतिरिक्त विषय:- हिन्दी सा संस्कृत सा, कम्प्यूटर वि, अंग्रेजी सा चित्रकला	हिन्दी
15	गोपनका बाल विद्या निकेतन उमावि लक्ष्मणगढ	विज्ञान संकाय	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित	हिन्दी
16	कै.के.नेशनल ऐकैडमी शिक्षण संस्थान किरडोली	-	कला में अतिरिक्त विषय:- इतिहास, चित्रकला, गृह विज्ञान अंग्रेजी सा, हिन्दी सा	हिन्दी
17	कुम्भारान आर्य शिक्षण संस्थान उमावि दूगोली	-	कला में अतिरिक्त विषय:- चित्रकला, कम्प्यूटर वि, इतिहास	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-प्रथम, सीकर

क्रमांक-जिशिअ/मा0प्र0/सी/मान्यता/2012-13/1136

दिनांक 19.9.12

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- शासन उप सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- 4- शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक, जयपुर संभाग, जयपुर
- 5- सम्बन्धित विद्यालय
- 6- कार्यालय प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक-प्रथम, सीकर